

तारीख
दुवम

10/3/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधी. ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली को राजस्व राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 में लिया जावे। पत्रावली दिनांक 12/3/22 को पेश है।

12/3/22

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार जोधपुर कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने से पत्रावली कोई कार्यवाही नहीं कि जा सकी पत्रावली नियमित शुनवार हेतु दिनांक 15/3/22 को पेश है।

अध्यक्ष
रा. लोक अदालत

15/3/22

पत्रावली पेश कीटासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर राज कार्या में व्यस्त है/..... अतः पत्रावली दिनांक 6/5/22 को पेश हो।

29/3/22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने परस्वागत वास्ते आवश्यक शुनवार कर मिलल तलबी हेतु प्रा पत्र पेश किया जिसे क्वीकार किया जाकर पत्रावली तलब की गई। पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता बरकतुल्लाह द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया गया। जवाब में निम्नानुसार प्रार्थी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में

अध्यक्ष
(ओफिसरिअ)
अधी. अधी.

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

मुकाम

कस मुकदमा

नं.

सन्

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम या इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अभ्याधी संख्या 4 तहसीलदार जोधपुर को
जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया
गया। तहसीलदार जोधपुर के जवाब अनुसार
लिखमणराम व लक्ष्मी नारायण पिता भीराम
एक ही व्यक्ति होना बताया व प्रा पत्र स्वीकार
योग्य बताया। भाधी की बहम कुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। भाधी का
भाथका पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पृथक
को लिखवाया जाकर पत्रावली फौजदारी
हो। तहसीलदार जोधपुर को पालना हेतु
तहरीर जारी होकर पत्रावली दाखिल
दफतर हो।

सहसंचालक एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)